

(2)

(23)

उत्तर प्रदेश शासन,
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3
संख्या- 624/11-3-2018-103/2017
लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी के अन्तर्गत मनोरंजन कर के समाहित हो जाने तथा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-3 (एच) के साथ पठित धारा-4 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं संदर्भित अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर प्रख्यापित नियमावलियां व उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम 1981 के निरसित हो जाने के फलस्वरूप सन्धक विचारोपरान्त मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत निम्नवत् कार्मिकों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश में संविलियन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं०	मनोरंजन कर विभाग का पदनाम	वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल	वाणिज्य कर विभाग, जिसमें संविलियन किया गया है, का पदनाम	वेतन बैंड/ग्रेड वेतन	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल
1	संयुक्त आमोद और पणकर आयुक्त	15600-39100 ग्रेड वेतन-7600	12	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर	15600-39100 ग्रेड वेतन-7600	12
2	उप आमोद और पणकर आयुक्त	15600-39100 ग्रेड वेतन-6600	11	उपायुक्त, वाणिज्य कर	15600-39100 ग्रेड वेतन-6600	11
3	सहायक आमोद और पणकर आयुक्त	15600-39100 ग्रेड वेतन-5400	10	सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर	15600-39100 ग्रेड वेतन-5400	10
4	जिला आमोद और पणकर अधिकारी	9300-34800 ग्रेड वेतन-4800	8	वाणिज्य कर अधिकारी	9300-34800 ग्रेड वेतन-4800	8
5	संख्याधिकारी	15600-39100 ग्रेड वेतन-5400	10	संख्याधिकारी, वाणिज्य कर	15600-39100 ग्रेड वेतन-5400	10

2. उक्त के अतिरिक्त मनोरंजन कर विभाग में सृजित समूह-'ग' एवं समूह 'घ' के अवशेष पदों को धारित करने वाले कार्मिकों का, उसी पदनाम से जो वर्तमान में है, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश में संविलियन किया जाता है। आमोद एवं पणकर निरीक्षकों के संविलियन के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 624(1)/11-3-2017, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
 5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
 6. प्रमुख सचिव/सचिव, मा10 मुख्यामंत्री जी।
 7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 8. सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
 9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
 10. संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन विभाग के समस्त अनुभाग।
 11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को दो सत्यापित प्रति सहित इस अनुरोध के साथप्रेषित कि कृपया इसे असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर नियमावली की 500 प्रतियों संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-3 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।